रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2701] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2017/भाद्र 30, 1939
No. 2701] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017/BHADRA 30, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2017

का.आ. 3084(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1275 (अ), तारीख 31 मार्च, 2016, द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह उक्त प्रारुप अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के मंडया जिले के पांडवपुरा नागामंगला और कृष्णारजापेट ताल्लुकों में स्थित है और उत्तरी अक्षांश 12^{0}37'35" से 12^{0}44'38" उत्तरी और 12^{0}41'00" से 12^{0}43'59" पूर्वी और पूर्वी देशांतर 76^{0}34'12" से 76^0 39' 00" से 76^0 39' 13" से 76^0 40' 38" पूर्व के बीच स्थित है और 49.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, अभयारण्य में शुष्क पर्णपाती वन और कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां जो *शोरेया तुलुरा, अकाकिया लियोकोफोलिया, अकाकिया सुन्दरा, अल्विज़िया लेब्बेक, साइकस सरकिनेलिस, डलबेरगिया पैनिकुलाटा, डायोस्पाइरोस मेलानओक्सिलॉन, इमबलिका ऑफिसिनालिस, टरमिनालिया बेल्लेरिका, स्टेरेओस्पेरमम पेरसोनाटम, साइज़जियम क्यूमिनि, टरमिनालिया चेबुला, टेरमिनालिया टोमेनटोसा टरमिनालिया पैनिकुलाटा, ज़िज़ाइफस स्पप.* आदि हैं;

और, अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जीव जन्तु जैसे तेंदुआ, भेड़िया, रीछ, चित्तीदार लकड़बग्घा, काला हिरण, भारतीय लोमड़ी, लघु पुच्छ वानर, भारतीय साही, बनबिलाव, चित्तीदार हिरण, बनैला सूअर, सामान्य नेवला, भारतीय मुसंग, कोबरा, विपर, करैत और भिन्न पक्षी प्रजातियों में सम्मिलित बटेर, तीतर, मयूर, बैबलर्स, बूलबूल, बुशचैट, मक्षिकाभक्षी, क्लोरोपसिस, बत्तख, मक्खीमार, मिनिवेट, मैना और मुनिया हैं;

और, मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली वनस्पतियों की आरईटी प्रजातियां क्यूइन सागो (*साइकस सर्किनालिस),* ईस्ट इंडिया एबोन*(डायोपसयरोस मेलानोक्सलोन),* सलाई *(बोसवेल्लिया सेर्राटा), इंडिया किनो*

ट्री(पटेरोकारपुस मारसुपीयम), ब्लैक मयरोबलान*(टर्मिनलिया चेबुला),* ईस्ट इंडियन सातिन वुड *(क्लोरोक्जलोन स्वीटेनीया)* आदि हैं।

और, मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों की आरईटी प्रजातियां पाई जाती है काला हिरण (*एन्टिलोप करविकापरा*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्घूस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), साल(*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), आदि।

और, मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली पक्षियों की आरईटी प्रजातियां ओरिन्टल वाइट-बेक्ड वाल्चर (*गपस बेन्गालेंसिस*), लौग-बिल्लेइड वाल्चर (*गपस इंडीकुस*), यूलो-श्रोट बुलबुल (*पयकनोनोटुस एक्स एंथोलाएमस*), आदि हैं।

और, मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 4.30 किलोमीटर तक के क्षेत्र को मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1)पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 133.88 वर्ग किलोमीटर (अधिसूचित वन और समझे गए वन क्षेत्रों सहित) है मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 1.0 किलोमीटर से 4.30 किलोमीटर है सीमाओं का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है ।

(2) अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरे मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के प्रमुख बिदुओं के भू- निर्देशांक और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले गांवों की सूची 74 तथा अधिसूचना वन और डीम्ड वन क्षेत्रों का वर्णन **उपाबंध IV** के रुप में उपाबद्ध है

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति में इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिकी पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल होने के लिए संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग – (क)** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय परिसर या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं होगा या उनमें संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है;और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप पैरा 4 के अधीन दिए गए हैं:

IndiaCode

परंतु यह और कि राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक की जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों या नदियों या जलसरणियों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) तब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल और रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन का यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहद खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय नहीं होंगी जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मकान बनाने के लिए देशी टाइलों या ईटों को निर्माण के लिए और अन्य क्रियाकलापों के लिए भी भूमि को खोदना और सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसार की जाएंगी ।
(2)	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों को या उनके विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए, केवल नए गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।
(3)	मुख्य जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(6)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

(7)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(8)	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(9)	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(10)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(11)	पवन मिलों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात ही होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के से परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुरूप होगा ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी:- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है, सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
(14)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
(15)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(16)	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
(18)	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किए जाएंगे।

(19)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किए जाएंगे।
(20)	गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस द्वारा पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(23)	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरियों, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मछली पालन सहित के साथ चालू कृषि और बागवानी व्यवसाय।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
(24)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
(25)	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआं, बोर कुआं, आदि।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की कड़ाई से मानीटरी की जाएगी।
(27)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
(32)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(36)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
(37)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(40)	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(41)	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति-. केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूरू	अध्यक्ष;
(ii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूरू	सदस्य;
(vi)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य की ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्याल से एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	मंडया जिले का उपायुक्त	सदस्य;
(viii)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मंडया	सदस्य;
(ix)	विधानसभा सदस्य, मेलूकोटे कर्नाटक (विधानसभा अध्यक्ष से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुमति सहित अन्य बातों के साथ, सुसंगत अनुमोदन, यदि कोई हो, की अभिप्राप्ति के अध्यधीन)	सदस्य;
(x)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य- सचिव	सदस्य;
(xi)	उप वन संरक्षक वन्य जीव प्रभाग, मैसूरू	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश – निबंधन_.(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

IndiaCode

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे।

[फा. सं. 25/133/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा वर्णन

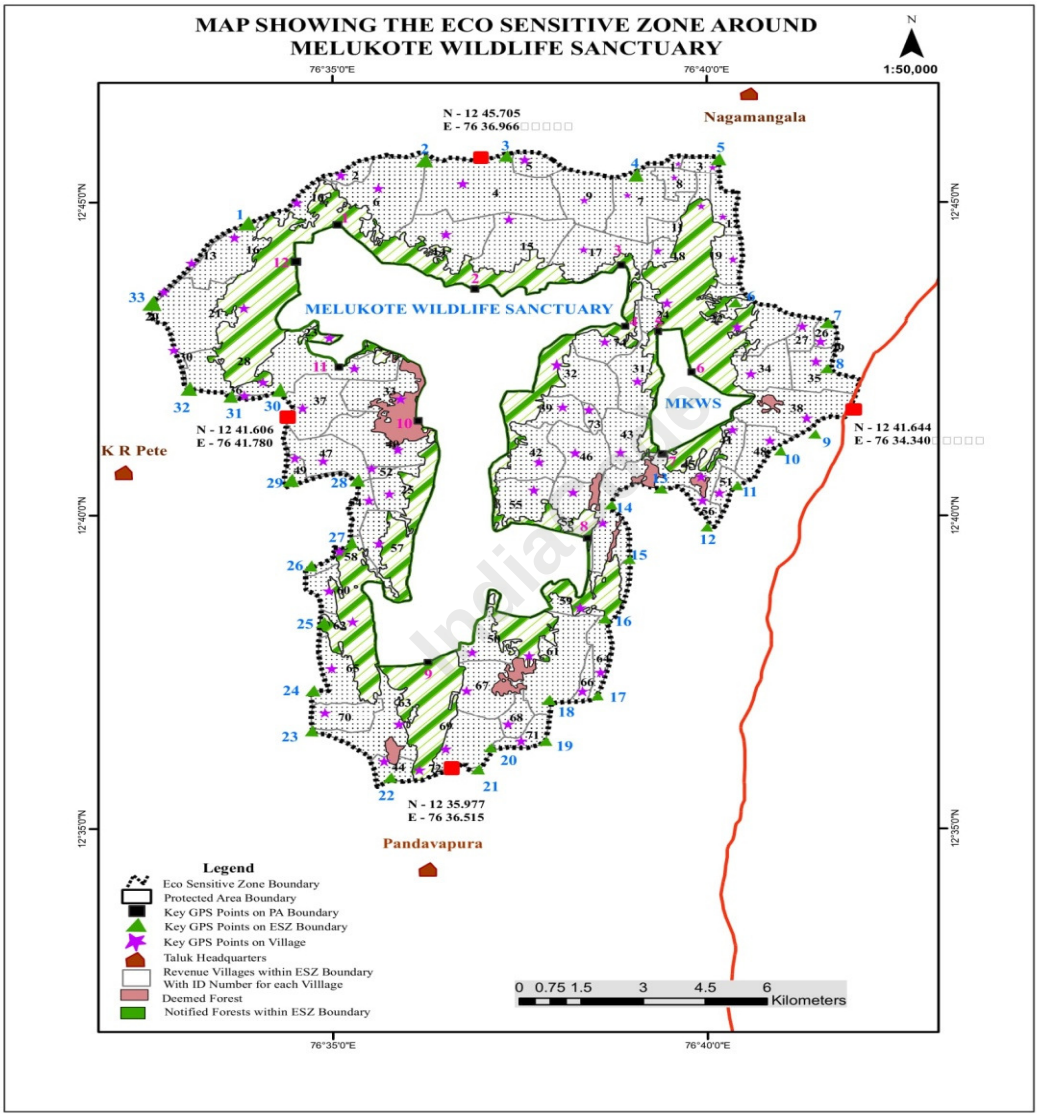
उत्तर: सीमा के. आर. पेटे तालुक को पार करके दुग्गानाहल्ली के निकट राज्य राजमार्ग 85 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से आरंभ होकर और सड़क के साथ उत्तर पूर्व मुड़कर और के. आर. पेटे तालुका के दुग्गानाहल्ली ग्राम को छूती है और सड़क के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर और बोप्पालाहल्ली ग्राम पहुँचती है। उसके बाद रेखा सड़क के पूर्व दिशा की ओर और नागामंगला तालुका को पार करके थिरुगानाहल्ली को छूती है और रेखा पूर्व दिशा की ओर सड़क के साथ जाती है और नागामंगला तालुका को पार करके बोगादी पहुँचती है और पूर्व दिशा की ओर जाती है और कारीक्याथानाहल्ली ग्राम के निकट त्रि-जंक्शन बिन्दु छूती है।

पूर्व: इसके बाद नागामंगला तालुका कारीक्याथानाहल्ली ग्राम के निकट त्रि-जंक्शन बिन्दु से रेखा सड़क के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर और नागामंगला तालुका के कानागाहहल्ली ग्राम, अलपाल्ली ग्राम से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और मुरारजी स्कूल के पार के निकट से होते हुए सड़क के साथ जाती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और सोमानाहल्ली ग्राम से होते हुए और चिन्या ग्राम को छूती है और पूर्व की ओर मुड़कर और एस एच-19 को छूती है और इसके बाद एस एच-19 के साथ मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर जाती है और नागामंगला तालुक के रघुरामपुरा ग्राम गेट के त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है इसके बाद रेखा ग्राम सड़क के पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और रघुरामपुरा ग्राम को छूती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और दोद्दाघाट्टा सरकारी स्कूल, गोट्टाकहाल्ली और पांडवापुरा तालुक के कादलागेरे ग्राम से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और लक्ष्मीपुरा ग्राम से होते हुए, और होसाकेरे टैंक को छूती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ पश्चिम दिशा में जाती है और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर मेलुकोटे चिनाकुराली सड़क को छूती है। इसके बाद रेखा धानुशकोटी पहाड़ी की पहाड़ी के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और हाला से होते हुए और सड़क पहुँचती है, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और सोमावरपेटे कोप्पलु, होसाल्ली ग्राम से होते हुए और पांडवापुरा तालुक के नारायणापुरा सर्कल को छूती है।

दक्षिण: इसके बाद पांडवापुरा तालुक के नारायणापुरा सर्कल से रेखा सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और नारायणापुरा ग्राम से होते हुए और नाल्लेनाहल्ली ग्राम को छूती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर नाल्लेनाहल्ली-थानदेकेरे सड़क के पार के निकट त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और के. आर. पेटे तालुक के कोदीहल्ली ग्राम पहुँचती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर और के. आर. पेटे तालुक के राजाघाट्टा ग्राम पहुँचती है।

पश्चिम: इसके बाद के. आर. पेटे तालुका के राजाघाटा ग्राम से और सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़कर गोदागानाहल्ली ग्राम, सिरबिल्लेनाहल्ली ग्राम, चौदाघाट्टा ग्राम, हेम्मादिहल्ली ग्राम से होते हुए के. आर. पेटे तालुक के वसनथापुरा ग्राम पहुँचती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और मैलनाहल्ली ग्राम चैनल पहुँचती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और रायासमुद्रा ग्राम को छूती है और मुरुगानाकोप्पलु ग्राम गेट पहुँचती है। इसके बाद रेखा माल्लेनाहल्ली ग्राम से होते हुए सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और कायाथानाहल्ली-सिद्दाघाट्टा सड़क के त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है। इसके बाद रेखा के. आर. पेटे तालुका के कालाबैराय्याना कोप्पलु, कायाथानाहल्ली और जगनाकेरे सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और आरंभिक बिन्दु पहुँचती है।

उपाबंध II


MAP SHOWING THE ECO SENSITIVE ZONE AROUND
MELUKOTE WILDLIFE SANCTUARY
N
1:50,000
76°35'0"E
76°40'0"E
12°45'0"N
12°40'0"N
12°35'0"N
N - 12 45.705
E - 76 36.966
Nagamangala
MELUKOTE WILDLIFE SANCTUARY
MKWS
N - 12 41.606
E - 76 41.780
K R Pete
N - 12 41.644
E - 76 34.340
N - 12 35.977
E - 76 36.515
Pandavapura
Legend
Eco Sensitive Zone Boundary
Protected Area Boundary
Key GPS Points on PA Boundary
Key GPS Points on ESZ Boundary
Key GPS Points on Village
Taluk Headquarters
Revenue Villages within ESZ Boundary
With ID Number for each Villlage
Deemed Forest
Notified Forests within ESZ Boundary
0 0.75 1.5 3 4.5 6
Kilometers

उपाबंध-III

मेलुकोटे वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख बिंदुओ के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई डी	अक्षांश (डिग्री मिनट सैकेंड)	देशांतर (डिग्री मिनट सैकेंड)
1	$12^0$45'10.63	$76^0$34'59.27
2	$12^0$43'44.29	$76^0$36'52.43
3	$12^0$44'9.51	$76^0$38'56.83
4	$12^0$35'47.87	$76^0$36'6.16
5	$12^0$41'18.16	$76^0$35'40.16
6	$12^0$42'5.40	$76^0$33'36.42
7	$12^0$44'0.81	$76^0$33'58.64
8	$12^0$45'1.76	$76^0$39'54.77
9	$12^0$42'30.19	$76^0$40'16.67
10	$12^0$40'45.16	$76^0$39'29.24
11	$12^0$42'38.85	$76^0$39'9.68
12	$12^0$44'9.45	$76^0$39'29.17

मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिंदुओ के भू-निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई डी	अक्षांश (डिग्री मिनट सैकेंड)	देशांतर (डिग्री मिनट सैकेंड)
1	$12^0$44'42.26	$76^0$33'37.72
2	$12^0$45'31.14	$76^0$35'5.01
3	$12^0$45'42.52	$76^0$36'59.00
4	$12^0$45'23.67	$76^0$38'44.40
5	$12^0$45'45.30	$76^0$40'9.94
6	$12^0$43'21.81	$76^0$40'35.32
7	$12^0$43'8.27	$76^0$41'38.09
8	$12^0$42'26.90	$76^0$41'36.09
9	$12^0$41'32.20	$76^0$41'21.95
10	$12^0$40'36.60	$76^0$40'29.24
11	$12^0$40'29.11	$76^0$40'14.46
12	$12^0$40'13.36	$76^0$39'45.94
13	$12^0$40'45.21	$76^0$39'16.02
14	$12^0$40'26.77	$76^0$38'47.35
15	$12^0$39'39.47	$76^0$38'33.44
16	$12^0$38'6.36	$76^0$38'37.71
17	$12^0$37'2.90	$76^0$38'28.27
18	$12^0$37'3.92	$76^0$37' 53.43
19	$12^0$36'20.75	$76^0$37'40.93

IndiaCode

20	12⁰ 36'25.14	76⁰ 36'39.95
21	12⁰ 36'4.50	76⁰ 36'40.60
22	12⁰ 35'41.81	76⁰ 35'32.25
23	12⁰ 36'30.12	76⁰ 34'40.99
24	12⁰ 37'16.58	76⁰ 34'40.72
25	12⁰ 38'55.15	76⁰ 34'36.68
26	12⁰ 39'18.90	76⁰ 34'48.37
27	12⁰ 39'38.80	76⁰ 35'10.46
28	12⁰ 40'36.22	76⁰ 35'18.82
29	12⁰ 40'38.15	76⁰ 34'31.16
30	12⁰ 41'38.92	76⁰ 34'20.51
31	12⁰ 41'49.84	76⁰ 34'1.24
32	12⁰ 42'26.69	76⁰ 32'53.34
33	12⁰ 43'22.56	76⁰ 32'29.01

उपाबंध-IV

मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का वर्णन

मानचित्र आई.डी	स्थान	तालुक	क्षेत्र हेक्टेयर में.	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणियां
				डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड	
1	अयितानाहल्ली	नागामंगला	18.82	12	45	43.47	76	39	38.01	आंशिक ग्राम
2	रंगानाथापुरा	कृष्नाराजपत	48.82	12	45	28.30	76	35	4.96	आंशिक ग्राम
3	करिक्याथानाहल्ली	नागामंगला	40.36	12	45	32.94	76	39	56.87	आंशिक ग्राम
4	तिरुगानाहल्ली	नागामंगला	505.79	12	45	17.95	76	36	44.49	आंशिक ग्राम
5	सीगेहोसुर	नागामंगला	70.16	12	45	45.67	76	37	31.34	पूर्ण ग्राम
6	बोप्पानाहल्ली	कृष्नाराजपत	330.51	12	45	12.96	76	35	36.3	आंशिक ग्राम
7	बोगादी	नागामंगला	266.65	12	45	2.538	76	39	2.563	आंशिक ग्राम
8	मंचीपटना	नागामंगला	69.96	12	45	16.81	76	39	36.85	पूर्ण ग्राम
9	कल्लेनाहल्ली	नागामंगला	198.97	12	45	16.59	76	38	26.9	आंशिक ग्राम
10	दुग्गानाहल्ली	कृष्नाराजपेट	80.92	12	45	0.731	76	34	29.42	आंशिक ग्राम
11	श्री रमानाहल्ली	नागामंगला	75.65	12	44	40.23	76	33	12.74	पूर्ण ग्राम
12	उयानाहल्ली	नागामंगला	81.42	12	45	8.147	76	40	19.71	आंशिक ग्राम
13	चिक्काहारानाल्ली	कृष्नाराजपेट	13.74	12	43	59.4	76	33	5.868	आंशिक ग्राम
14	कोरोवनागुन्दी	नागामंगला	233.11	12	44	28.32	76	36	30.53	पूर्ण ग्राम
15	हिन्दासहल्ली	नागामंगला	271.76	12	44	42.62	76	37	30.77	पूर्ण ग्राम
16	कोटागहल्ली	कृष्नाराजपेट	197.88	12	44	25.58	76	33	40.76	पूर्ण ग्राम
17	मदाहल्ली	नागामंगला	252.27	12	44	11.72	76	38	18.2	पूर्ण ग्राम
18	बल्लेनाहल्ली	नागामंगला	42.84	12	44	13.33	76	39	19.34	पूर्ण ग्राम
19	कनगोनाहल्ली	नागामंगला	94.89	12	44	4.319	76	40	20.44	आंशिक ग्राम
20	जगिनाकेरे	कृष्नाराजपेट	7.46	12	43	34.47	76	32	44.65	आंशिक ग्राम

21	क्याटानाहल्ली	कृष्णाराजपेट	287.77	12	42	51.56	76	32	47.55	आंशिक ग्राम
22	अलपाहल्ली	नागामंगला	194.96	12	42	57.4	76	40	22.78	आंशिक ग्राम
23	मरूयवादाकोप्पाय	कृष्णाराजपेट	12.45	12	42	55.56	76	34	46.25	पूर्ण ग्राम
24	गुजागोनाहल्ली	पांडवापुरा	48.35	12	43	14.18	76	39	20.51	पूर्ण ग्राम
25	सिंगापुरा	पांडवापुरा	106.42	12	40	21.82	76	35	44.99	पूर्ण ग्राम
26	सोमानाहल्ली	नागामंगला	38.63	12	43	5.938	76	41	30.06	आंशिक ग्राम
27	होन्नेनाहल्ली	नागामंगला	52.84	12	42	51.3	76	41	13.99	आंशिक ग्राम
28	अंकानाथापुर	कृष्णाराजपेट	408.25	12	42	17.97	76	34	4.638	आंशिक ग्राम
29	होनाकेरे	नागामंगला	2.11	12	42	41.73	76	41	39.73	आंशिक ग्राम
30	थाम्मदिहल्ली	कृष्णाराजपेट	7.92	12	42	51.46	76	32	47.66	आंशिक ग्राम
31	तालेकेरे	पांडवापुरा	154.84	12	42	16.4	76	38	52.18	पूर्ण ग्राम
32	पगादे काल्लाहल्ली	पांडवापुरा	188.64	12	42	5.792	76	38	18.04	पूर्ण ग्राम
33	चमालापुर	कृष्णाराजपेट	135.44	12	42	12.25	76	36	2.563	पूर्ण ग्राम
34	अदविकाट्टे	नागामंगला	154.00	12	42	18.21	76	40	40.83	पूर्ण ग्राम
35	चिन्या	नागामंगला	157.00	12	42	45.21	76	42	6.757	आंशिक ग्राम
36	माल्लेनाहल्ली	कृष्णाराजपेट	3.00	12	41	55.1	76	33	43.01	आंशिक ग्राम
37	रयासामुद्रा	कृष्णाराजपेट	215.16	12	41	44.28	76	34	25	आंशिक ग्राम
38	श्रीरघुरामापुरा	नागामंगला	253.08	12	41	32.42	76	41	20.33	आंशिक ग्राम
39	रामपुरा	पांडवापुरा	93.47	12	41	43.38	76	37	59.24	पूर्ण ग्राम
40	मदिगाराहोसाल्ली	कृष्णाराजपेट	211.13	12	41	2.256	76	35	52.57	पूर्ण ग्राम
41	गुरुदापुरा	पांडवापुरा	168.64	12	41	12.09	76	40	20.64	पूर्ण ग्राम
42	बी कोदागाहल्ली	पांडवापुरा	181.23	12	40	54.8	76	37	43.77	पूर्ण ग्राम
43	कनागानाहल्ली	पांडवापुरा	142.85	12	41	11.43	76	38	43.85	पूर्ण ग्राम
44	कोदीहल्ली	कृष्णाराजपेट	2.29	12	35	54.45	76	35	37.62	आंशिक ग्राम
45	मेलूकोटे	पांडवापुरा	310.54	12	39	48.28	76	38	57.24	आंशिक ग्राम
46	बाला-घाट्टा	पांडवापुरा	183.46	12	40	59.02	76	38	14.19	पूर्ण ग्राम
47	माइलानाहल्ली	कृष्णाराजपेट	185.02	12	40	51.54	76	34	52.36	आंशिक ग्राम
48	गोटाकाहल्ली	नागामंगला	114.49	12	41	8.718	76	40	49.75	आंशिक ग्राम
49	हरालाहल्ली	कृष्णाराजपेट	38.31	12	40	43.51	76	34	34.07	आंशिक ग्राम
50	सिंगापुर	कृष्णाराजपेट	95.50	12	37	46.42	76	36	51.51	पूर्ण ग्राम
51	दोद्दीघाट्टा	पांडवापुरा	52.02	12	40	32.03	76	40	13.59	आंशिक ग्राम
52	वसंथापुरा	कृष्णाराजपेट	17.89	12	40	43.93	76	35	33.61	पूर्ण ग्राम
53	मदेनाहल्ली	पांडवापुरा	115.33	12	40	21.43	76	38	13.17	पूर्ण ग्राम
54	करथाहल्ली	कृष्णाराजपेट	69.30	12	40	12.52	76	35	32.83	आंशिक ग्राम
55	नारानापुरा	पांडवापुरा	146.41	12	40	23.36	76	37	41.28	पूर्ण ग्राम
56	कदालागेरे	पांडवापुरा	44.33	12	40	2.6	76	39	59.86	आंशिक ग्राम
57	हेम्मादाहल्ली	कृष्णाराजपेट	99.84	12	39	31.62	76	35	37.45	पूर्ण ग्राम
58	चवादिघाट्टा	कृष्णाराजपेट	36.54	12	39	24.01	76	35	5.744	आंशिक ग्राम

indiacode

59	हुलीगेरे	पांडवापुरा	70.96	12	38	26.33	76	38	15.68	आंशिक ग्राम
60	सुरबील्लेनाहल्ली	कृष्णाराजपेट	72.66	12	38	47.07	76	34	57.31	आंशिक ग्राम
61	होसाहल्ली	पांडवापुरा	306.72	12	37	45.24	76	37	36.71	आंशिक ग्राम
62	नवालुमारानाहल्ली	कृष्णाराजपेट	15.67	12	38	16.26	76	35	4.51	आंशिक ग्राम
63	चट्टामगेरे	कृष्णाराजपेट	200.07	12	36	39.74	76	35	52.71	आंशिक ग्राम
64	चिट्टानाहल्ली	पांडवापुरा	88.25	12	37	28.63	76	38	38.87	आंशिक ग्राम
65	गुदागानाहल्ली	कृष्णाराजपेट	146.79	12	37	30.93	76	34	51.29	आंशिक ग्राम
66	चोकनाहल्ली	पांडवापुरा	42.56	12	36	53.89	76	37	48.27	आंशिक ग्राम
67	मरामाहल्ली	पांडवापुरा	177.76	12	37	13.32	76	36	51.82	पूर्ण ग्राम
68	वोलागेरेदेवाराल्ली	पांडवापुरा	76.13	12	36	41.88	76	37	22.87	पूर्ण ग्राम
69	नल्लेनाहल्ली	पांडवापुरा	196.90	12	36	21.17	76	36	36.26	आंशिक ग्राम
70	राजाघाट्टा	कृष्णाराजपेट	126.27	12	36	52.3	76	35	5.838	पूर्ण ग्राम
71	नारायनपुरा	पांडवापुरा	66.99	12	36	24.27	76	37	34.05	आंशिक ग्राम
72	कोदाबा	पांडवापुरा	6.68	12	35	57.39	76	36	11.49	आंशिक ग्राम
73	कोदीहाल्ली	पांडवापुरा	63.94	12	36	30.15	76	37	36.19	पूर्ण ग्राम
74	सिंगापुर	पांडवापुरा	116.29	12	37	58.79	76	37	3.10	पूर्ण ग्राम
		कुल	**9306.12**							

मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर अधिसूचित आरक्षित वन क्षेत्र और डिम्ड वन क्षेत्रों का विवरण

क्र.सं.	**वन का नाम**	**वन विभाग**	**तालुक/रेंज**	**क्षेत्र वर्ग किलोमीटर**	**अधिसूचना सं. और तारिख**
1	**अधिसूचना वन क्षेत्र**	मांडया	पनदवापुरा	11.20	अधिसूचना सं.:-एएचएफएफ/58/एफएएफ86 तारिख: 8-6-1987.
			नगमांगला	16.63	आरडी 54 जीपी 78 तारिख: 8-5-1978
			के.आर.पत	9.88	एलएचएस(II) सीआर 34/78_79 तारिख: 1-3-1982
			उप कुल	**37.71**	
1	**डीम्ड वन**	मांडया	पनदवापुरा	1.22	शून्य
			नगमांगला	0.15	शून्य
			के.आर.पेटे	1.74	शून्य
			उप कुल	**3.11**	
			कुल	**40.82**	

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 19th September, 2017

S.O. 3084(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 1275(E), dated 31st March, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Melukote Wildlife Sanctuary is situated in Pandavapura, Nagamangala and Krishnarajpet Taluks of Mandya district, Karnataka State and lies between the North Latitudes 12^0 37' 35" to 12^0 44' 38" N and 12^0 41' 00" to 12^0 43' 59" N and between East Longitudes 76^0 34' 12" to 76^0 39' 00" to 76^0 39' 13" to 76^0 40' 38" E and is spread over an area of 49.82 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary has dry deciduous Scrub Forest and some of the important tree species found are *Shorea tulura, Acacia leucophloea, Acacia sundra, Albizzia lebbek, Cycas circinalis, Dalbergia paniculata, Diospyros melanoxylon, Emblica officinalis, Terminalia bellerica, Stereospermum personatum, Syzygium cumini, Terminalia chebula, Terminalia tomentosa, Terminalia paniculata, Zizyphus Spp etc.;*

AND WHEREAS, the important fauna found in the sanctuary are Leopard, Wolf, Sloth Bear, Striped Hyena, Black buck, Indian Fox, Bonnet macaque, Indian Porcupine, Jungle cat, Pangolins, Spotted deer, Wild boar, Common Mongoose, Small Indian Civet, Cobras, Vipers, Kraits and different bird species including Quails, Partridges, Peafowl, Babblers, Bulbuls, Bush chats, Bee eaters, Chloropsis, Doves, Flycatchers, Minivets, Mynas, and Munias etc.

AND WHEREAS, RET species of flora found in Melukote Wildlife Sanctuary are Queen sago (*Cycas circinalis),* East india ebony (*Diopsyros melanoxylon)*, Salai (*Boswellia serrata),* Indian kino tree (*Pterocarpus marsupium),* Black myroblan (*Terminalia chebula)*, East Indian satin wood (*Chloroxylon swietenia)* etc...

AND WHEREAS, RET species of mammals found in Melukote Wildlife Sanctuary are Black buck (*Antilope cervicapra),* Striped Hyenas (*Hyaena hyaena),* Leopard *(Panthera pardus),* Sloth Bear (*Melursus ursinus),* Pangolins (*Manis crassicaudata)* etc…

AND WHEREAS, RET species of birds found in Melukote Wildlife Sanctuary are Oriental White-backed Vulture (*Gyps bengalensis*), Long-billed Vulture (*Gyps indicus*), Yellow-throated Bulbul (*Pycnonotus xantholaemus*), etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the Melukote Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.0 kilometer to 4.30 kilometers from the boundary of Melukote Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka, as the Melukote Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone (herein after referred to as the Eco–Sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and Boundary of Eco-Sensitive Zone:-

(1) The total geographical area of the Eco-sensitive Zone is 133.88 square kilometers (including Notified Forests & Deemed Forests areas) with an extent varying from 1.0 kilometer to 4.30 kilometers from the boundary of the Melukote Wildlife Sanctuary. The description of boundaries is given in **Annexure-I.**

(2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes and longitudes is appended as **Annexure II;**

(3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Melukote Wildlife Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure-III.**

(4) The list of 74 villages and the details of Notified Forests & Deemed Forests areas falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture and Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal and urban development;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse:**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

IndiaCode

2. Natural water bodies: The catchment areas of all natural springs or rivers or channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

3. **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

4. Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

5. Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

6. Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

7. Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

8. Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

9. Solid wastes: Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

10. Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under.-

(a) the Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

11. Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

12. Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

13. E-waste: The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

14. Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

15. Vehicular Pollution: Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

16. Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

17. Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under.-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

18. The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Erection of wind mills.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building

		byelaws to meet the residential needs of the local residents such as.- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
31.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of Eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee: — (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i) The Regional Commissioner, Mysuru - Chairman;

(ii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka. - Member;

(iii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka - Member;

(iv) Representative of Non-Government Organization working in the field of Nature Conservation (including heritage Conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case - Member;

(v) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board Mysuru. - Member;

(vi) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case - Member;

(vii) Deputy Commissioner Mandya District - Member;

(viii) The Chief Executive Officer, Zilla panchayath , Mandya - Member;

(ix) Member of Legislative Assembly-Melukote-Member - Member;

(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

(x) Member, State Biodiversity Board Member;

(xi) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysuru -Member

Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-V.**

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/133/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone around Melukote Wildlife Sanctuary.

North: The boundary begins from Tri-junction point of SH 85 near Dugganahalli cross of K.R. Pete Taluk and turns north east along the road and touches the Dugganahalli village of K.R. Pete Taluk and moving towards north east along the road and reaches the Boppanahalli village. Then line runs east direction on the road and touches the Thiruganahalli cross of Nagamangala Taluk and the line passes along the road towards east direction and reaches Bogadi cross of Nagamangala Taluk and runs towards east direction and touches the tri-junction point near Karikyathanahalli village.

East: Then from tri-junction point near Karikyathanahalli village Nagamangala Taluk the line moves towards south along the road and passes through Kanagahahalli village, Alpalli village of Nagamangala taluk. Then line turns towards east direction and passes through along the road passes through near Murarji School cross. The line turn towards south direction along the road and passes through Somanahalli village and touches the Chinya village and move towards east and touches the SH-19 and then move along the SH-19 towards south direction and reaches the tri-junction of point of Raghurampura village gate of Nagamangala Taluk. Then the line turns west direction on the village road and touches the Raghurampura village. Then the line runs towards south west direction along the road and passes though Gottakahalli village, Doddaghatta Govt. school and Kadalagere village of Pandavapura Taluk. Then line moves towards south west direction along the road and passes through Lakshmipura village, and touches

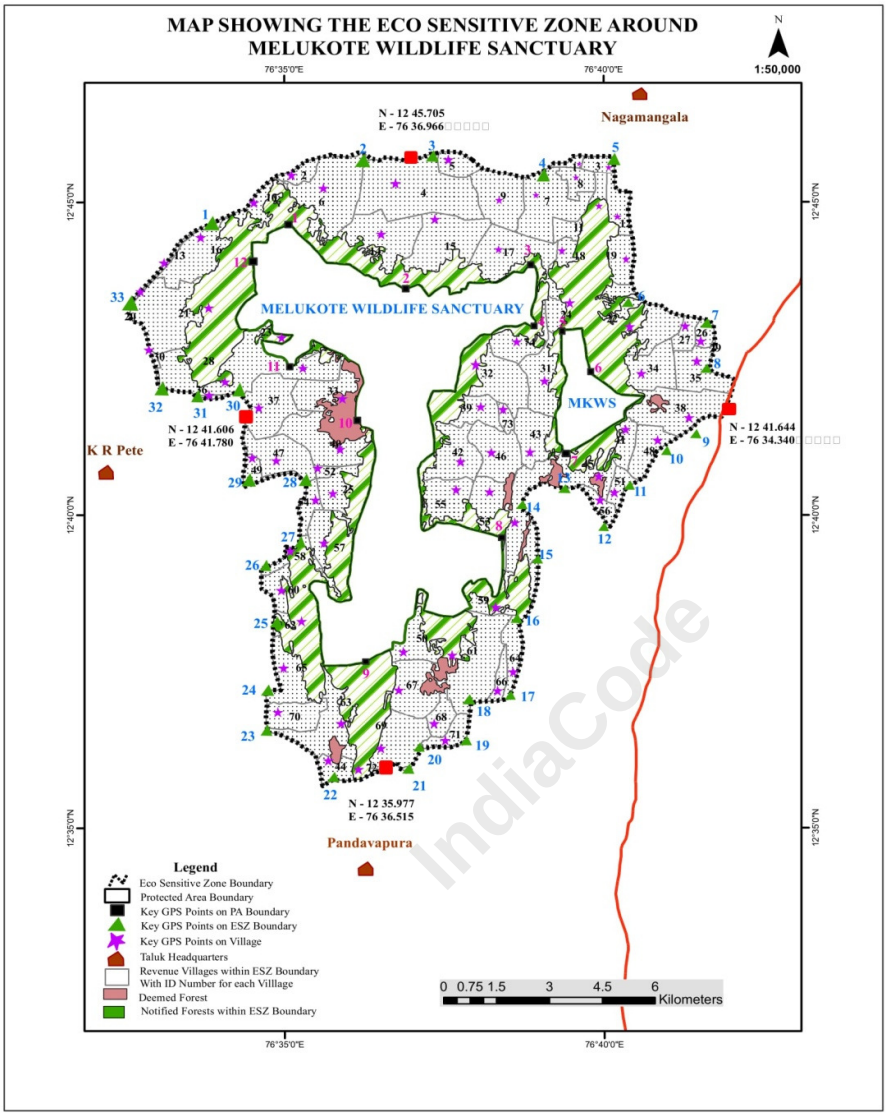
the Hosakere Tank. Then line runs in west direction along the road and turns towards south, west and south direction and touches the Melukote Chinakurali road. Then the line moving towards south direction along the foothill of the Dhanushkoti Hill and passes along the halla and reaches road then turns to west direction and passes through Somavarpete Koppalu, Hosalli village and touches the Narayanapura Circle of Pandavapura Taluk. In addition the Eco-sensitive Zone boundaries are extended to 1 Km from the extreme points of the Sanctuary with respect to Melukote, Huligere and Chittnahalli villages of Pandavapura Taluk.

South: Then from Narayanapura circle of Pandavapura Taluk the line turns towards west direction along the road and passes through Narayanapura village and touches Nallenahalli village. Then line turns south direction along the road reaches the tri-junction point near Nallenahalli-Thandekere road cross. Then line turns west direction along the road and reaches the Kodihalli village of K.R. Pete Taluk. Then line turns in south west direction along the road and reaches Rajaghatta village of K.R.Pete Taluk.

West: Then from Rajaghatta village of K.R. Pete Taluk and turns towards north direction along the road and passes through Gudaganahalli village, Sirbillenahalli village, Chowdaghatta village, Hemmadihalli village the reaches the Vasanthapura village of K.R. Pete Taluk. Then the line turns west direction along the road and reaches the Mailnahalli village Channel. Then the line turns north direction along the road and touches the Rayasamudra village and reaches the Muruganakoppalu village gate. Then the line turns west direction along the road passes through Mallenahalli village and reaches the tri-junction point of Kyathanahalli- Siddaghatta road. Then the line turns towards north direction along the road Kalabairayyana Koppalu, Kyatanahalli and Jaganakere of K.R.Pete Taluk and reaches the Starting point.

IndiaCode

Annexure-II



ANNEXURE-III

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Melukote Wildlife Sanctuary.

Location on the Map	Latitude (Degree Minutes Seconds)	Longitude (Degree Minutes Seconds)
1	12^{0} 45’10.63	76^{0} 34’59.27
2	12^{0} 43’44.29	76^{0} 36’52.43
3	12^{0} 44’9.51	76^{0} 38’56.83
4	12^{0} 35’47.87	76^{0} 36’6.16
5	12^{0} 41’18.16	76^{0} 35’40.16
6	12^{0} 42’5.40	76^{0} 33’36.42
7	12^{0} 44’0.81	76^{0} 33’58.64
8	12^{0} 45’1.76	76^{0} 39’54.77
9	12^{0} 42’30.19	76^{0} 40’16.67

10	12^{0} 40’45.16	76^{0} 39’29.24
11	12^{0} 42’38.85	76^{0} 39’9.68
12	12^{0} 44’9.45	76^{0} 39’29.17

Table showing Geo Coordinates of major points on the Eco-Sensitive Zone boundary around Melukote Wildlife Sanctuary.

Location on the Map	Latitude (Degree Minutes degrees)	Longitude (Degree Minutes Seconds)
1	12^{0} 44’42.26	76^{0} 33’37.72
2	12^{0} 45’31.14	76^{0} 35’5.01
3	12^{0} 45’42.52	76^{0} 36’59.00
4	12^{0} 45’23.67	76^{0} 38’44.40
5	12^{0} 45’45.30	76^{0} 40’9.94
6	12^{0} 43’21.81	76^{0} 40’35.32
7	12^{0} 43’8.27	76^{0} 41’38.09
8	12^{0} 42’26.90	76^{0} 41’36.09
9	12^{0} 41’32.20	76^{0} 41’21.95
10	12^{0} 40’36.60	76^{0} 40’29.24
11	12^{0} 40’29.11	76^{0} 40’14.46
12	12^{0} 40’13.36	76^{0} 39’45.94
13	12^{0} 40’45.21	76^{0} 39’16.02
14	12^{0} 40’26.77	76^{0} 38’47.35
15	12^{0} 39’39.47	76^{0} 38’33.44
16	12^{0} 38’6.36	76^{0} 38’37.71
17	12^{0} 37’2.90	76^{0} 38’28.27
18	12^{0} 37’3.92	76^{0} 37’ 53.43
19	12^{0} 36’20.75	76^{0} 37’40.93
20	12^{0} 36’25.14	76^{0} 36’39.95
21	12^{0} 36’4.50	76^{0} 36’40.60
22	12^{0} 35’41.81	76^{0} 35’32.25
23	12^{0} 36’30.12	76^{0} 34’40.99
24	12^{0} 37’16.58	76^{0} 34’40.72
25	12^{0} 38’55.15	76^{0} 34’36.68
26	12^{0} 39’18.90	76^{0} 34’48.37
27	12^{0} 39’38.80	76^{0} 35’10.46
28	12^{0} 40’36.22	76^{0} 35’18.82
29	12^{0} 40’38.15	76^{0} 34’31.16
30	12^{0} 41’38.92	76^{0} 34’20.51
31	12^{0} 41’49.84	76^{0} 34’1.24
32	12^{0} 42’26.69	76^{0} 32’53.34
33	12^{0} 43’22.56	76^{0} 32’29.01

ANNEXURE-IV

Details of the list of Villages falling within the Eco-sensitive Zone around Melukote Wildlife Sanctuary.

Map ID	Location	Taluk	Area in Ha	Latitude			Longitude			Remarks
				Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.	

1	Ayitanahalli	Nagamangala	18.82	12	45	43.47	76	39	38.01	Partial village
2	Ranganathapura	Krishnarajpet	48.82	12	45	28.30	76	35	4.96	Partial village
3	Karikyathanahalli	Nagamangala	40.36	12	45	32.94	76	39	56.87	Partial village
4	Tiruganahalli	Nagamangala	505.79	12	45	17.95	76	36	44.49	Partial village
5	Seegehosur	Nagamangala	70.16	12	45	45.67	76	37	31.34	Entire Village
6	Boppanahalli	Krishnarajpet	330.51	12	45	12.96	76	35	36.3	Partial village
7	Bogadi	Nagamangala	266.65	12	45	2.538	76	39	2.563	Partial village
8	Manchipatna	Nagamangala	69.96	12	45	16.81	76	39	36.85	Entire Village
9	Kallenahalli	Nagamangala	198.97	12	45	16.59	76	38	26.9	Partial village
10	Dugganahalli	Krishnarajpet	80.92	12	45	0.731	76	34	29.42	Partial village
11	Sri Ramanahalli	Nagamangala	75.65	12	44	40.23	76	33	12.74	Entire Village
12	Uyanahalli	Nagamangala	81.42	12	45	8.147	76	40	19.71	Partial village
13	Chikkaharanahalli	Krishnarajpet	13.74	12	43	59.4	76	33	5.868	Partial village
14	Koravanagundi	Nagamangala	233.11	12	44	28.32	76	36	30.53	Entire Village
15	Hindasahalli	Nagamangala	271.76	12	44	42.62	76	37	30.77	Entire Village
16	Kotagahalli	Krishnarajpet	197.88	12	44	25.58	76	33	40.76	Entire Village
17	Madahalli	Nagamangala	252.27	12	44	11.72	76	38	18.2	Entire Village
18	Ballenahalli	Nagamangala	42.84	12	44	13.33	76	39	19.34	Entire Village
19	Kanagonahalli	Nagamangala	94.89	12	44	4.319	76	40	20.44	Partial village
20	Jaginakere	Krishnarajpet	7.46	12	43	34.47	76	32	44.65	Partial village
21	Kyatanahalli	Krishnarajpet	287.77	12	42	51.56	76	32	47.55	Partial village
22	Alpahalli	Nagamangala	194.96	12	42	57.4	76	40	22.78	Partial village
23	Maruvanakoppalu	Krishnarajpet	12.45	12	42	55.56	76	34	46.25	Entire Village
24	Gujagonahalli	Pandavapura	48.35	12	43	14.18	76	39	20.51	Entire Village
25	Singapura	Pandavapura	106.42	12	40	21.82	76	35	44.99	Entire Village
26	Somanahalli	Nagamangala	38.63	12	43	5.938	76	41	30.06	Partial village
27	Honnenahalli	Nagamangala	52.84	12	42	51.3	76	41	13.99	Partial village
28	Ankanathapur	Krishnarajpet	408.25	12	42	17.97	76	34	4.638	Partial village
29	Honakere	Nagamangala	2.11	12	42	41.73	76	41	39.73	Partial village
30	Thammadihalli	Krishnarajpet	7.92	12	42	51.46	76	32	47.66	Partial village
31	Talekere	Pandavapura	154.84	12	42	16.4	76	38	52.18	Entire Village
32	Pagade Kallahalli	Pandavapura	188.64	12	42	5.792	76	38	18.04	Entire Village
33	Chamalapur	Krishnarajpet	135.44	12	42	12.25	76	36	2.563	Entire Village
34	Advikatte	Nagamangala	154.00	12	42	18.21	76	40	40.83	Entire Village
35	Chinya	Nagamangala	157.00	12	42	45.21	76	42	6.757	Partial village
36	Mallenahalli	Krishnarajpet	3.00	12	41	55.1	76	33	43.01	Partial village
37	Rayasamudra	Krishnarajpet	215.16	12	41	44.28	76	34	25	Partial village
38	Sriraghuramapura	Nagamangala	253.08	12	41	32.42	76	41	20.33	Partial village
39	Rampura	Pandavapura	93.47	12	41	43.38	76	37	59.24	Entire Village
40	Madigarahosahalli	Krishnarajpet	211.13	12	41	2.256	76	35	52.57	Entire Village
41	Gurudapura	Pandavapura	168.64	12	41	12.09	76	40	20.64	Entire Village
42	B Kodagahalli	Pandavapura	181.23	12	40	54.8	76	37	43.77	Entire Village
43	Kanaganahalli	Pandavapura	142.85	12	41	11.43	76	38	43.85	Entire Village
44	Kodihalli	Krishnarajpet	2.29	12	35	54.45	76	35	37.62	Partial village
45	Melukote	Pandavapura	310.54	12	39	48.28	76	38	57.24	Partial village
46	Bala-Ghatta	Pandavapura	183.46	12	40	59.02	76	38	14.19	Entire Village
47	Mylanahalli	Krishnarajpet	185.02	12	40	51.54	76	34	52.36	Partial village
48	Gotakahalli	Nagamangala	114.49	12	41	8.718	76	40	49.75	Partial village
49	Haralahalli	Krishnarajpet	38.31	12	40	43.51	76	34	34.07	Partial village

India Code

50	Singapur	Krishnarajpet	95.50	12	37	46.42	76	36	51.51	Entire Village
51	Doddighatta	Pandavapura	52.02	12	40	32.03	76	40	13.59	Partial village
52	Vasanthapura	Krishnarajpet	17.89	12	40	43.93	76	35	33.61	Entire Village
53	Madenahalli	Pandavapura	115.33	12	40	21.43	76	38	13.17	Entire Village
54	Karthahalli	Krishnarajpet	69.30	12	40	12.52	76	35	32.83	Partial village
55	Naranapura	Pandavapura	146.41	12	40	23.36	76	37	41.28	Entire Village
56	Kadalagere	Pandavapura	44.33	12	40	2.6	76	39	59.86	Partial village
57	Hemmadahalli	Krishnarajpet	99.84	12	39	31.62	76	35	37.45	Entire Village
58	Chavadighatta	Krishnarajpet	36.54	12	39	24.01	76	35	5.744	Partial village
59	Huligere	Pandavapura	70.96	12	38	26.33	76	38	15.68	Partial village
60	Surbillenahalli	Krishnarajpet	72.66	12	38	47.07	76	34	57.31	Partial village
61	Hosahalli	Pandavapura	306.72	12	37	45.24	76	37	36.71	Partial village
62	Navalumaranahalli	Krishnarajpet	15.67	12	38	16.26	76	35	4.51	Partial village
63	Chattamgere	Krishnarajpet	200.07	12	36	39.74	76	35	52.71	Partial village
64	Chittanahalli	Pandavapura	88.25	12	37	28.63	76	38	38.87	Partial village
65	Gudaganahalli	Krishnarajpet	146.79	12	37	30.93	76	34	51.29	Partial village
66	Chokanahalli	Pandavapura	42.56	12	36	53.89	76	37	48.27	Partial village
67	Maramahalli	Pandavapura	177.76	12	37	13.32	76	36	51.82	Entire Village
68	Volageredevaranahalli	Pandavapura	76.13	12	36	41.88	76	37	22.87	Entire Village
69	Nallenahalli	Pandavapura	196.90	12	36	21.17	76	36	36.26	Partial village
70	Rajaghatta	Krishnarajpet	126.27	12	36	52.3	76	35	5.838	Entire Village
71	Narayanapura	Pandavapura	66.99	12	36	24.27	76	37	34.05	Partial village
72	Kadaba	Pandavapura	6.68	12	35	57.39	76	36	11.49	Partial village
73	Kodihalli	Pandavapura	63.94	12	36	30.15	76	37	36.19	Entire Village
74	Singapur	Pandavapura	116.29	12	37	58.79	76	37	3.10	Entire Village
		Total	**9306.12**							

Details of the Notified Reserved Forest and Deemed Forest areas within the Eco-sensitive Zone around Melukote Wildlife Sanctuary.

Sl. No.	Name of the Forest	Forest Division	Taluk/ Range	Area in Sq. Km	Notification No. & Date
1	**Notified Forest Area**	Mandya	Pandavapura	11.20	Notification No:- AHFF/58/FAF86 Dated: 8-6-1987.
			Nagamangala	16.63	RD 54 GP 78 dated: 8-5-1978
			K.R.Pete	9.88	LHS(II) CR 34/78_79 dated: 1-3-1982
			Sub Total	**37.71**	
1	**Deemed Forest**	Mandya	Pandavapura	1.22	NIL
			Nagamangala	0.15	NIL
			K.R.Pete	1.74	NIL
			Sub Total	**3.11**	
			Total	**40.82**	

ANNEXURE – V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.23 10:23:37 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.